उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर
आर.बी.ई.सं. 28/2012
दिनांक

संख्याः– 740-E/0/Recruitment

RBE No. 28/2012

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक– **जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर**
मुख्य कारखाना प्रबंधक– **अजमेर, जोधपुर, बीकानेर**
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक– **अजमेर, जोधपुर**
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/**निर्माण– जयपुर**
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.–**जयपुर** ....
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.– **जयपुर**
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.– **जयपुर**
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड– **अजमेर**
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान– **उदयपुर**
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र– **जोधपुर**
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.– **जयपुर**
सहायक सचिव/गोपनीय – महाप्रबंधक प्रका.– **जयपुर**
मुख्य खजांची रोकड एंव वेतन विभाग प्रका.– **जयपुर**
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.– **जयपुर.**

विषय :– Appointment on Compassionate Grounds–Test regarding.

संदर्भ :– Railway Bd. No. E(NG)II/2012/RC-1/Genl/5 dt-2/3/2012

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 2/3/2012 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एंव सूचनार्थे प्रेषित की जा रही है।

सलंग्न– यथोक्त।

(आर.के.शर्मा) 2/3/2012
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपिः–

7.	महासचिव– एनडब्ल्यूआरईयू	15 प्रतियॉ।
8.	महासचिव– यूपीआरएमएस	15 प्रतियॉ।
9.	महासचिव– एससी/एसटी एसो.	15 प्रतियॉ।
10.	महासचिव– ओबीसी एसो.	05 प्रतियॉ।
11.	महासचिव– पदोन्नत अधिकारी एसो.	05 प्रतियॉ।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
****

RBE No.28 /2012

NO.E(NG)II/2012/RC-1/Genl/5 New Delhi, Dated 02.03.2012

The General Manager (P)
All Zonal Railways/ Production Units etc.

Sub: Appointment on compassionate grounds- Suitability Test regarding.
****

Attention is invited to this Ministry's letters No. E(NG)II/99/RC-1/Gen./3/PNM-AIRF dated 28/04/1999 (RBE No. 84/99) and No. E(NG)II/2001/RC-1/Gen/11 dated 21/09/2001 (RBE No. 192/2001) , stipulating therein, the provision for giving additional chance to a candidates and widows respectively, for appearing in the suitability test for appointment on compassionate grounds to Group C' posts on the Railways.

All India Railwaymen's Federation, in the PNM meeting with Railway Board held on 23/02/2012, have raised a demand (item no. 9/2012) for giving multiple chances to widows/wards to appear in the suitability test for Group 'C' posts. In supersession of stipulation made vide letters ibid, the Board after due consideration have decided that one more chance be given to widows/wards by the Railway with the personal approval of the General Manager, not to be delegated further.

Please acknowledge receipt.

(Harsha Dass)
Joint Director Estt.(N)II
Railway Board

भारत सरकार

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

****

आरबीई सं. 28/2012

सं. ई (एनजी)II/2012/आरसी-1/जन./5 नई दिल्ली, दिनांक: 02.03.2012

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि.

विषय: अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति- उपयुक्तता परीक्षा के संबंध में।

****

आपका ध्यान इस मंत्रालय के दिनांक 28.04.1999 के पत्र सं.ई(एनजी)II/99/आरसी-1/जन./3/पीएनएम-एआईआरएफ (आरबीई सं.84/99) और दिनांक 21.09.2001 के पत्र सं.ई (एनजी)II/2001/आरसी-1/जन./11(आरबीई सं.192/2001) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें रेलों पर ग्रुप 'सी' के पदों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए उपयुक्तता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए क्रमशः उम्मीदवारों और विधवाओं को एक अतिरिक्त अवसर दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन ने रेलवे बोर्ड के साथ 23.02.2012 को आयोजित पीएनएम बैठक में ग्रुप 'सी' के पदों के लिए उपयुक्तता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए विधवाओं/आश्रितों को कई अवसर देने की मांग (मद सं.9/2012) की है। उक्त उल्लिखित पत्रों में लिए गए उपबंधों का अधिक्रमण करते हुए बोर्ड ने समुचित विचार-विमर्श के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि महाप्रबंधक के व्यक्तिक अनुमोदन से रेलवे द्वारा विधवाओं/आश्रितों को दिए जाने वाले एक और अवसर का अधिकार आगे किसी और को प्रत्यायोजित न किया जाए।

कृपया पावती दें।

हर्षा 2/3/12

(हर्षा दास)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (अराज.)II
रेलवे बोर्ड

ESST-E (NG) II